डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] रायपुर, शुक्रवार ,दिनांक 21 सितम्बर 2001—भाद्र 30, शक 1923

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रमांक 4151/2001/चि.शि.—छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल अधिनियम, 2001 की धारा 12 एवं 32 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन की पूर्व अनुमति से छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल द्वारा प्रदेश के प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों के न्यूनतम मापदण्डों के निर्धारण एवं इन स्कूलों में प्रवेश के लिए विनियम बनाए गए हैं. यह विनियम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किए जाते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल
प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन के प्रवेश विनियम
सत्र 2001-2002

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल अधिनियम, 2001 की धारा 12 एवं 32 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन, शिक्षा तथा स्कूलों में प्रवेश के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. **सामान्य (General)**

1. ये विनियम छत्तीसगढ़ प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रवेश के विनियम कहलायेंगे.
2. ये विनियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे, जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों में प्रवेश के इच्छुक हैं.

2. **परिभाषाएं :** इन विनियमों में, जहां तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

1. श्रेणी का तात्पर्य है इन चार श्रेणियों में से एक अर्थात् अनारक्षित (UR) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) ,अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) (OBC).
2. सक्षम प्राधिकारी (स. प्रा.) का तात्पर्य है जिसको छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है.
3. प्राचार्य का तात्पर्य है संस्था प्रमुख.
4. छत्तीसगढ़ का तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ राज्य जो 1-11-2000 को अस्तित्व में आया.
5. संचालक का तात्पर्य है, संचालक चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर.
6. वर्ग का तात्पर्य है, इन तीनों वर्गों में एक अर्थात् सैनिक (S) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF), बिना वर्ग (X).
7. एन आर आई का तात्पर्य है, अप्रवासी भारतीय तथा एन आर आई एस का अर्थ है अप्रवासी भारतीय द्वारा स्पांसर्ड.
8. फ्री सीट का तात्पर्य है, वह सीट जिस पर वही फीस देय होगी जो शासन द्वारा संचालित संस्थाओं में लगती है.
9. पेमेंट सीट का तात्पर्य है, वह सीट जिस पर फीस फ्री सीट से अधिक है.

3. **काउंसिलिंग के दौरान** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृति दी जाती है या किसी संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तो उसे काउंसिलिंग में तदानुसार सम्मिलित किया जावेगा. पूर्व में काउंसिलिंग किये गये उम्मीदवारों को ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी.

4. **सीटों का आरक्षण :** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये सीटों का आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा तालिका-2 में दिया गया है.

(अ) निजी क्षेत्रों के संस्थानों में 50 प्रतिशत फ्री मेरिट सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है. पेमेंट सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है.

(ब) निजी क्षेत्र की संस्था में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों में से 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय उम्मीदवारों (एन.आर.आई.) अथवा उनके द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों के लिये आरक्षित है. उक्त सीटों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में इन्हें पेमेंट सीटों के अन्तर्गत भरा जावेगा.

टिप्पणी :

(क) विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है.

(ख) जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस विनियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य है.

(ग) **छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी :** ऐसा उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है, उसे इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-2 (अ) अथवा प्रारूप-2 (ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. (म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7/2/96/अ.प्र./एक, दिनांक 1996 देखें.)

(घ) **अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी (ओ.बी.सी. को छोड़कर) :** ऐसा उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे विनियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप 3 (अ) अथवा प्रारूप 3 (ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. (म. प्र. शासन, अनारक्षित प्रशासन विभाग, (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7/2/96/अ.प्र./ एक, दिनांक 12 मार्च, 1997 देखें).

(ङ) **सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग :** छत्तीसगढ़ शासन से मान्यताप्राप्त अशासकीय प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव सिस्ट्म्स ऑफ मेडिसिन स्कूलों की फ्री सीटों में अनारक्षित (U R) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक (S) तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित है. ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा तालिका-दो में दिया गया है.

(च) **सैनिक वर्ग :** सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं. इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, वह छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है. भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है. भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-4 भाग 'अ' में तथा अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-5 में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे.

अथवा

वह छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है. (प्रमाण-पत्र प्रारूप भाग-4 (ब) में) उम्मीदवार को अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप 8 में प्रस्तुत करना होगा.

अथवा

वह 1 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है. (प्रमाण-पत्र प्रारूप 4 भाग (ब) में).

टिप्पणी : सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा.

(छ) **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नातियों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 2.4.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं. इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम छत्तीसगढ़ से संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत है.

टिप्पणी : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप 6 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा. केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण-पत्र होगा.

(ज) **बिना वर्ग (Nill Class) (X)** : जो उम्मीदवार उपरोक्त तीनों वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा, उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" (X) का उम्मीदवार माना जावेगा.

5. **महिला उम्मीदवारों हेतु आरक्षण (Reservation for Female Candidates) :**

1. छत्तीसगढ़ शासन से मान्यताप्राप्त अशासकीय प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों में प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत महिला उम्मीदवारों हेतु 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइस्ड" आरक्षण उपलब्ध रहेगा.
2. महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण संस्थावार होगा.
3. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस श्रेणी/वर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे, परंतु उसी वर्ग में पुरुष उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग के रिक्त स्थान उस श्रेणी के बिना वर्ग के उम्मीदवारों के द्वारा भरा जावेगा.

6. **जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग :**

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ में दिनांक 1 जनवरी, 1999 अथवा उसके पूर्व की तिथि से निवास कर रहा हो, उनके पुत्र/ पुत्रियों के लिये छत्तीसगढ़ शासन से मान्यताप्राप्त अशासकीय प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है. इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-12 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा.

2. इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों के पुत्र/पुत्रियों को, जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी. ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप-13 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा.

7. **विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण (Reservation For Physically Handicapped Candidates) :** ऐसे उम्मीदवार जो विकलांग हो ,और जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों, उनके लिये संस्थाओं की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त 2 सीटों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा.

टिप्पणी : इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल द्वारा विकलांगता प्रमाण-पत्र इसके साथ अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगता हेतु व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre For Physically Handicapped, Govt. of India, Ministery of Labour नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे.

8. **एन. आर. आई./एन. आर. आई. स्पान्सर्ड सीट (NRI/NRI Sponsored Quota Seats) :**

1. संस्थाओं की एन.आर.आई./एन.आर.आई. स्पान्सर्ड सीटों के विरुद्ध ऐसे उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा सकेगा जो अर्हकारी परीक्षा (10+2 प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा) के भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषयों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये होंगे. प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित संस्थाओं द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र में अपना आवेदन सीधे संस्थाओं में ही निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ प्रस्तुत करना होगा.
2. (10+2) प्रणाली की 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा की अंक सूची.
3. एन. आर. आई. स्पांसरशिप प्रमाण-पत्र (प्रारूप-14 में)

अथवा

विदेश में स्थित भारतीय राजनयिक मिशन अथवा चांसलरी से अथवा हाई कमीशन से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उम्मीदवार के पिता/माता उस देश में अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) हैं. संस्था स्तर पर एन.आर.आई./एन.आर.आई. स्पांसर्ड उम्मीदवारों के प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने

के पश्चात् संस्थायें प्रवेशित उम्मीदवारों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में उनके द्वारा प्रस्तुत सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अंतिम प्रवेश की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगी.

9. **प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें :—**

1. शैक्षणिक अर्हता :

(1) प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नलिखित में से कोई भी एक परीक्षा जीवविज्ञान, भौतिकी व रसायन मुख्य विषयों के रूप में लेकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

(1) माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश की (10+2) प्रणाली की बारहवीं कक्षा की परीक्षा.

(2) किसी भी मान्यताप्राप्त बोर्ड या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य समकक्ष या उच्च परीक्षा.

2. छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकतायें (C. G. Domicile Requirements) : छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा संचालित तथा छत्तीसगढ़ शासन से मान्यताप्राप्त अशासकीय प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों की फ्री सीटों के विरुद्ध केवल ऐसे उम्मीदवारों को (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिये पात्रता होगी :—

(1) जो भारत का नागरिक हो.

(2) जिसने वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक के पांच वर्षों की अवधि में छत्तीसगढ़ में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो. (प्रमाण-पत्र प्रारूप-7 में)

अथवा

जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी हो. (प्रमाण-पत्र प्रारूप-8 में)

अथवा

जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :—

(1) छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण-पत्र प्रारूप-9 में)

(2) केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय, डाकतार, टेलीफोन तथा रेल्वे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ हो. (प्रमाण-पत्र प्रारूप-10 में).

अथवा

ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थाई रूप से बस गया हो. (प्रमाण-पत्र प्रारूप-11 में)

स्पष्टीकरण-1

छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी : उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा तब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों-(अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा.

(अ) वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हो.

अथवा

उम्मीदवार स्वयं उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक छत्तीसगढ़ में निरंतर 15 वर्ष से रह रहा/रही हो.

अथवा

उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष पहले कम से कम पांच वर्षों से पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल संपत्ति रखता हो.

एवं

(ब) उसने छत्तीसगढ़ स्थित किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो, जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी.

अथवा

उसने छत्तीसगढ़ स्थित किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा (10 + 2) प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

टिप्पणी : छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र (प्रारूप -8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए. इस प्रमाण-पत्र के संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है.

स्पष्टीकरण-2 (अभिभावक) : किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो. अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी.

स्पष्टीकरण-3 दत्तक पुत्र/पुत्री : यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए आवेदक की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा होगा. दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जावेगा जब तक उसकी सपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/बी.एस.सी. भाग एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण-पत्र से नहीं हो जाती है. इन विनियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा. इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में जो आवश्यक होगा, कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमश: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों. ऐसे आवेदक जो मूलत: अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्हीं अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे.

10. उम्मीदवारों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर संचालक द्वारा योग्यता क्रम सूचियां (Merit Lists), अनारक्षित (UR), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ी जाति (OBC) (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणियों के लिये अलग-अलग तैयारी की जावेगी. इन योग्यता क्रम सूचियों से प्रवेश परामर्श (काउंसिलिंग) के माध्यम से लिये जावेंगे.

11. **समान कुलांक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :** समान कुलांक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की प्रावीण्यता विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी-प्रथम जीवविज्ञान, द्वितीय रसायन, तृतीय भौतिकी.

12. **प्रवेश प्रकिया :**

1. संचालक द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रवेश परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा दिया जावेगा. काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जावेगी. काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिये उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना-पत्र/यू.पी.सी. डाक से भेजा जावेगा. सूचना-पत्र के डाक में पत्र गुम होने अथवा देरी से प्राप्त होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा.

2. काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को काउंसिलिंग फार्म-प्रारूप-16 (क्रमांक 1 से 14 तक प्रविष्टियां पूर्ण कर) तथा उसमें उल्लेखित सभी आवश्यक मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज (एक-एक फोटो प्रति सहित) तथा काउंसिलिंग फीस की राशि के भुगतान के रूप में 300/- (रु. तीन सौ मात्र) एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट, जो अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल, रायपुर में देय हो अपने साथ लाना आवश्यक होगा. राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा काउंसिलिंग फीस की राशि देय 150/- (रु. एक सौ पचास) है. ड्राफ्ट रायपुर पेयबल होगा. अत: उन्हें बैंक ड्राफ्ट लाना है.

3. काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को उनके योग्यताक्रमानुसार सीट/संस्था में प्रवेश की संभावनाएं बताई जावेगी, जिसका चयन वे उपलब्धता के आधार पर इच्छानुसार कर सकेंगे. उम्मीदवार को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये तथा फीस की अग्रिम राशि रु. 10,000 (रु. दस हजार मात्र) का एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल, रायपुर के नाम पर जमा कर प्रवेश लेना होगा. ड्राफ्ट रायपुर पेयबल होगा. फीस की शेष राशि उम्मीदवार का प्रवेशित संस्था में एक सप्ताह में जमा करना होगा. सभी श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रवेशित संस्था में छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी जिसकी जानकारी परिशिष्ट-2 में दी गयी है.

4. यदि उम्मीदवार काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या काउंसिलिंग के समय आवश्यक प्रमाण-पत्र/दस्तावेज, निर्धारित प्रारूप प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में परामर्श की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उसे उस दिन उपलब्ध सीट/संस्था ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा. यदि उम्मीदवार काउंसिलिंग की अंतिम तिथि के दिन भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी किसी भी सीट/संस्था में प्रवेश लेने की रुचि नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा

5. यदि कोई उम्मीदवार गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है तो वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तो उनके पिता/अभिभावक, जिन्हें उम्मीदवार द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर कांउसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे. ऐसे उम्मीदवार द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा.

6. अनारक्षित श्रेणी की योग्यताक्रम (Merit) सूची में स्थान प्राप्त करेंगे, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जावेगी. ऐसे उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार अनारक्षित श्रेणी अथवा संबंधित आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध संस्था का चयन मेरिट के आधार पर कर सकेंगे. जो उम्मीदवार संबंधित आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध संस्था का चयन करेंगे, उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध स्थानों में बचे हुये स्थानों को अनुपातिक आधार पर अतिरिक्त रूप से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु योग्यताक्रमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा.

टिप्पणी : अनारक्षित श्रेणी की योग्यताक्रम सूची से तात्पर्य ऐसी सूची से होगा जिसमें सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या, उन सभी सीटों के अंतर्गत, अनारक्षित श्रेणी की सीटों की संख्या के योग के बराबर होगी, जिसमें विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है.

7. जिन सीटों में किसी आरक्षित श्रेणी/वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है उन सीटों के विरूद्ध प्रवेश हेतु उस आरक्षित श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों की गणना अनारक्षित श्रेणी/बिना वर्ग में की जाकर उन्हें मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी/बिना वर्ग के अंतर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा.

8. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सैनिक अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उस श्रेणी के बिना वर्ग (X) में परिवर्तित कर भरा जावेगा.

9. किसी भी श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा–अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे. इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे. इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जावेगा. जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होंगे तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे.

10. एक बार उम्मीदवार काउंसिलिंग के माध्यम से किसी सीट/संस्था में प्रवेश ले लेता है तो बाद में उसे सीट/संस्था में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जावेगी.

11. किसी भी प्रवेशित उम्मीदवार द्वारा उसके स्वयं के अनुरोध में छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल प्रवेश निरस्त करवाने पर उसके द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश के समय जमा की गई फीस की राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जावेगी. किन्तु प्रवेश के समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी उम्मीदवार द्वारा अपने प्रवेश निरस्त करवाने पर उसे फीस की राशि नहीं लौटाई जा सकेगी. किसी भी स्थिति में उम्मीदवार द्वारा प्रवेश के समय जमा किये गये प्रमाण-पत्र/दस्तावेज प्रवेशित संस्था से ही वापस प्राप्त होंगे.

12. निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त होने वाली "फ्री सीटों" के विरुद्ध प्रवेश, मेरिट अंकों के आधार पर उसी संस्था में प्रवेशित पेमेंट सीटों के उम्मीदवारों को दिया जावेगा बशर्ते कि वे छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होने संबंधी शर्तों की पूर्ति करते हों.

13. केन्द्रीय काउंसिलिंग की अंतिम तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जावेगी, इस तिथि के पश्चात् काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत रिक्त रह गई सीटों के विरुद्ध तथा संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हुई सीटों के विरुद्ध प्रवेश की कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों से की जावेगी. प्रवेश की यह कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा घोषित एक निश्चित तिथि को काउंसिलिंग द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मेरिट के आधार पर की जावेगी. संबंधित संस्थानों द्वारा प्रवेश की कार्यवाही छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि तक पूर्ण कर ली जावेगी, इस तिथि के बाद किसी भी संस्था में प्रवेश नहीं दिया जावेगा.

टिप्पणी : (1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थाओं को प्रतीक्षा सूची उपलब्ध न कराये जा सकने की स्थिति में, संस्थायें रिक्त स्थानों की जानकारी देते हुये समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर, प्रवेश की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को एक निश्चित तिथि को संस्था में बुलाकर प्रवेश की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग द्वारा कर सकेगी.

(2) प्रवेश की इस प्रक्रिया में अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी.

13. **प्रवेश रद्द करना :** यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान, तुरंत, बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा. प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर चिकित्सा शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा.

14. उम्मीदवारों को प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (Interpretation) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में छत्तीसगढ़ राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

15. छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा.

16. प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रवेश हेतु परामर्श (काउंसिलिंग) के समय प्रस्तुत किये जाने वाले मूल पत्र/दस्तावेजों की सूची- परामर्श (काउंसिलिंग) हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को काउंसिलिंग फार्म तथा निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र/दस्तावेज एवं उनकी एक-एक अभिप्रमाणित प्रति परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. ऐसा न करने पर वे इस नियम पुस्तिका के नियम के अनुसार योग्यता क्रमानुसार सीट/संस्था के चयन का अवसर खो देंगे.

1. सभी श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

(1) अर्हकारी परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अंकसूची.

(2) कक्षा आठवीं से अब तक उम्मीदवार के अध्ययन में यदि कोई व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण वताते हुए न्यायालय का शपथ-पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि उसने किसी संस्था में प्रवेश नहीं लिया तथा किसी गैर कानूनी गतिविधियों में भाग नहीं लिया.

(3) अभी तक, जिस संस्था में पढ़ रहे थे उनके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जिसमें यह उल्लेख भी हो कि उम्मीदवार उक्त संस्था में कब से कब तक अध्ययनरत रहा.

(4) पासपोर्ट साइज फोटो की दो अभिप्रमाणित प्रतियां.

(5) इस पुस्तिका के नियमों में उल्लिखित वास्तविक संबंधी आवश्यकता जो भी लागू हो, की पूर्ति हेतु नीचे दी गई तालिका के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र.

तालिका-1

क्र. (1)	वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता (2)	प्रारूप जिसमें प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना है. (3)
1.	जिस वर्ष प्रवेश चाहा गया है उसके ठीक 5 वर्ष पूर्व की अवधि में (वर्ष 1996 से 2001 तक की अवधि में) यदि उम्मीदवार ने छत्तीसगढ़ स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया है.	प्रारूप 7 में
2.	उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है.	प्रारूप 8 में
3.	यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा छत्तीसगढ़ के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी का/की पुत्र/पुत्री है.	प्रारूप 9 में
4.	यदि उम्मीदवार 1 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक छत्तीसगढ़ पदस्थ केन्द्रीय शासन के कर्मचारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है.	प्रारूप 10 में
5.	यदि उम्मीदवार किसी ऐसे व्यक्ति का/की पुत्र/पुत्री है जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्थाई रूप से बस गया है.	प्रारूप 11 में

नोट : प्रारूप क्रमांक 1 से 16 नियम पुस्तिका के अंत में दिये गये है. वहां देखें.

2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रमाण-पत्र निम्नानुसार होंगे :

   (1) अनुसूचित जाति (SC) , व अनुसूचित जनजाति (ST).

   (2) अन्य पिछड़ी जाति (OBC) छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) का होने [illegible] सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप-3 (अ) अथवा 3 (ब) में.

3. सैनिक (S) वर्ग :

   (1) यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है तो प्रारूप 4 भाग (अ) तथा प्रारूप 5 में प्रमाण-पत्र.

   (2) यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है तो प्रारूप 4 भाग (ब) तथा प्रारूप 8 में प्रमाण-पत्र.

   (3) यदि उम्मीदवार 1 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है तो प्रारूप- 4 (ब) में प्रमाण-पत्र.

4. स्वतंतत्रा संग्राम सेनानी (FF) वर्ग :

   संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रारूप 6 में प्रमाण-पत्र.

5. विकलांग (H) श्रेणी :

(1) जिला चिकित्सा मंडल का प्रमाण-पत्र.

(2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र.

17. प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों में शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क तथा अन्य शुल्क देय होंगे.

प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में वर्ष 2001-2002 में देय शिक्षण शुल्क की जानकारी

1. अनारक्षित श्रेणी के छात्र द्वारा देय शुल्क

शिक्षण शुल्क तथा विकास शुल्क

(अ) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव्ह मेडिसीन पाठ्यक्रम में फ्री सीटों एवं पेमेंट सीटों के विरुद्ध शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क निम्नानुसार देय होगा :

निजी क्षेत्र के प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम की फ्री सीटें

शिक्षण शुल्क	विकास शुल्क
रु. 25,500/- प्रतिवर्ष	रु. 3,000/ प्रतिवर्ष

निजी क्षेत्र के प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसीन पाठ्यक्रम में पेमेंट सीटें

शिक्षण शुल्क	विकास शुल्क
रु. 35,000/- प्रतिवर्ष	रु. 8,000/- प्रतिवर्ष (संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित)

अन्य शुल्क

1.	अमानत राशि	रु. 1000/- प्रथम वर्ष (वापसी योग्य)
2.	पंजीयन व पहचान-पत्र पाठ्यक्रम एवं अन्य शुल्क.	रु. 250/- प्रथम वर्ष
3.	खेलकूद शुल्क	रु. 200/- प्रतिवर्ष
4.	भ्रमण, सेमीनार शुल्क	रु. 500/- प्रतिवर्ष
5.	संस्थान का मोनो (क्लेवर हेतु)	रु. 150/- प्रतिवर्ष
6.	छात्रावास शुल्क	रु. 500/- प्रतिमाह
7.	काउंसिलिंग शुल्क	रु. 300/-
	एवं अजा., ज. जा. हेतु	रु. 150/-

परीक्षा शुल्क-छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा निर्धारित

एन.आर.आई./एन.आर.आई. स्पांसर्ड उम्मीदवार 3000 यू. एस. डॉलर अथवा समतुल्य भारतीय मुद्रा

तालिका-2
सीटों का आरक्षण विवरण

निजी क्षेत्र के प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन (पी. ए. एम.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की श्रेणीवार संख्या एन.आर.आई. पेमेंट एवं फ्री मेरिट सीटों का विवरण फ्री-मेरिट सीटें.

एन. आर. आई.	पेमेंट मेरिट सीट	फ्री मेरिट	सीट कुल
22	53	75	150

फ्री मेरिट सीटों की संख्या विवरण :—

		महिला	सैनिक	स्व. सं. से.	अनारक्षित वर्ग	योग
अनारक्षित		11	02	01	24	38
आरक्षित	अ.जा.	03	00	01	07	11
	अ.ज.जा.	05	01	00	10	16
	ओ.बी.सी.	03	00	00	07	10
		22	03	02	48	75

टीप : विकलांग उम्मीदवार हेतु आरक्षण के लिये संस्थाओं की प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त दो सीटों का आरक्षण उपलब्ध रहेगा.

प्रमाण-पत्रों के प्रारूप

प्रारूप-1

उम्मीदवार के पिता/माता/वैध अभिभावक का शपथ-पत्र

(केवल अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये)

नाम :

पिता का नाम :

जाति/जनजाति/(अनु. का क्रमांक) :

धर्म :

व्यवसाय :

पता :

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि—

1. मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अंतर्गत जिला . . . . (छ.ग.) के लिये घोषित . . . . अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की सदस्य हूं.

2. मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी . . . . के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु जो आवेदन-पत्र दिनांक . . . . . को प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वर्णित जानकारी मेरे ज्ञान/विश्वास के अनुसार सत्य है.

शपथकर्त्ता के हस्ताक्षर

. . . .

टिप्पणी :— जो अनुपयुक्त विकल्प हो उसे काट देवें एवं प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें.

प्रारूप-2 (अ)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .... जिला .... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ....

प्रमाण-पत्र क्रमांक .... प्रकरण क्रमांक ....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम .... निवासी ग्राम/नगर .... वि. खं. .... तहसील .... जिला .... संभाग .... के .... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधिनियम मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह .... जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक .... पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी .... पिता/पति का नाम .... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी .... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ...... है.

दिनांक ....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

टिप्पणी :

(1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद क्रमांक-341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ संविधान के अनुच्छेद क्रमांक-342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी), उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/(ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना.

यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टी के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर.

प्रारूप-2 (ब)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

अस्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .जिला . . . . .छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक . . . .

प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . प्रकरण क्रमांक . . . .

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .पिता/पति का नाम . . . . निवासी ग्राम/नगर . . . . .पटवारी हल्का नं.. . . . .तहसील . . . . .जिला . . . . संभाग . . . . के . . . . .जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह . . . . जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक . . . . पर अंकित है. अत: श्री/श्रीमती/कुमारी .पिता/पति का नाम . . . . .अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी : . . . . .के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये . . . . . .है.

दिनांक . . . .

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा.

प्रारूप-3 (अ)

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .जिला . . . . .छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक . . . .

प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . प्रकरण क्रमांक . . . .

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . .आत्मज श्री . . . . निवासी/ग्राम . . . . जिला/संभाग .छत्तीसगढ़ के निवासी है जो . . . . .जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री . . . . .और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला . . . . .संभाग . . . . में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक . . . . .को प्रव्रजन कर चुका है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . .क्रीमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था. (एस.टी.सी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 7-26/93/1/आ. प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ''ई'' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये . . . . .है.

दिनांक . . . .

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप-3 (ब)

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमिलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र

अस्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग .जिला . . . . .छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक . . . .

प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . प्रकरण क्रमांक . . . .

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . .आत्मज श्री . . . . निवासी/ग्राम . . . . जिला/संभाग . . . . .छत्तीसगढ़ के निवासी हैं जो . . . . .जाति के हैं जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है.

श्री . . . . .और/या उनका परिवार सामान्यत: छत्तीसगढ़ के जिला . . . . .संभाग . . . . में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक . . . . .को प्रव्रजन कर चुका है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . .क्रीमिलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था. (एस.टी.सी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 7-26/93/1/आ. प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट ''ई'' की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये . . . . .है.

दिनांक . . . .

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा.

प्रारूप-4

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भाग-(अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी ....के पिता/माता हैं.

अ. थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं. सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ....पद पर थे/थी और उनकी सर्विस क्रमांक ....था.

अथवा

ब. उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ....पद पर सर्विस क्रमांक ....के अधीन सेवा की है. सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष ....में हो चुकी है.

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

....

(कार्यालयीन सील)

भाग-(ब)

छत्तीसगढ़ में/छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कुमारी/उम्मीदवार का नाम ....जो श्री/श्रीमती .... जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी .... के पिता/माता हैं.

अ. थलसेना/वायुसेना/नौसेना में ....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक .... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे छत्तीसगढ़ स्थित इकाई में पदस्थ हैं. वे इस इकाई में दिनांक .... से सेवारत हैं.

अथवा

ब. थलसेना/वायुसेना/नौसेना में .... के ओहदे पर सर्विस क्रमांक . ...के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं.

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर आफिसर कमांडिंग

....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-5

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/उम्मीदवार का नाम .... जो श्री/श्रीमती .... जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी .... के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से .... स्थान/तहसील .... जिला .... में व्यवस्थापित हो गये हैं.

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

....

(कार्यालय सील)

प्रारूप-6

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक .... दिनांक ....

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... (उम्मीदवार का नाम) श्री/श्रीमती .... (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) श्री/श्रीमती .... (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री हैं. जो श्री/श्रीमती .... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) के/की वैध (Legitimate) पुत्र/पुत्री हैं.

(2) श्री/श्रीमती .... (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला .... (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक .... पर पंजीकृत है.

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर कलेक्टर

....

(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप–7

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री . . . .

जो श्री/श्रीमती . . . . जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है ने नियमित छात्र के रूप में इस संस्था . . . .(संस्था का नाम) में सत्र . . . . .से सत्र . . . . तक अध्ययन किया.

स्थान संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर . . . .

दिनांक नाम व पद . . . .

(कार्यालय सील)

प्रारूप–8

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री . . . .

जो तहसील . . . . .जिला . . . . .छत्तीसगढ़ का निवासी है, क्योंकि वह—

(1) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है.

अथवा

(2) वह/उसका पालक/वैध अभिभावक छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है.

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो छत्तीसगढ़ में सेवारत है.

अथवा

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं. इसके अतिरिक्त

(1) उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ में स्थित किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था से कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है.

अथवा

(2) उसने छत्तीसगढ़ स्थित किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है.

(क) 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा.

. . . .

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम व सील

टिप्पणी :- जो अंश आवश्यक न हो उसे काट दिया जावे.

प्रारूप-9

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .जो श्री/श्रीमती . . . .

जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है,

श्री/श्रीमती . . . . .का/की पुत्र/पुत्री है.

(क) जो . . . . विभाग में . . . . .पद पर . . . .(तिथि) से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं.

अथवा

(ख) जो . . . . .विभाग में . . . . पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी थे और जो . . . .(तिथि) को इस विभाग से सेवानिवृत्त हुये.

अथवा

(ग) जो . . . . विभाग में . . . . .पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के ऐसे कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुये . . . . (तिथि) को हो गयी थी.

अथवा

(घ) जो . . . . .विभाग में . . . . पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के संवर्ग में धारित भारतीय सेवा के अधिकारी हैं.

स्थान कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक (कार्यालयीन सील)

प्रारूप-10

वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . जो श्री/श्रीमती . . . . जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं श्री/श्रीमती . . . . का/की पुत्र/पुत्री है जो दिनांक 1 जनवरी, 2001 को अथवा उसके पूर्व की तिथि . . . . से छत्तीसगढ़ स्थित . . . . विभाग में . . . . . . के पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं.

स्थान कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक नाम व पद . . . .

(कार्यालयीन सील)

प्रारूप-11

छत्तीसगढ़ के पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . जो श्री/श्रीमती . . . . जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है.

श्री/श्रीमती . . . . का/की पुत्र/पुत्री हैं जो . . . . योजना के तहत छत्तीसगढ़ से व्यवस्थापित है. यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है.

स्थान . . . .

दिनांक हस्ताक्षर : कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

(कार्यालयीन सील)

प्रारूप-12

जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . .जो श्री/श्रीमती . . . . जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार है. जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं.

श्री . . . .(पिता का नाम) एवं उनका परिवार वर्तमान में छत्तीसगढ़ के . . . . (शहर एवं जिले का नाम) में दिनांक . . . . .से निवास कर रहा है.

स्थान . . . .

दिनांक

हस्ताक्षर : अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप-13

छत्तीसगढ़ के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू कश्मीर राज्य में की गयी का प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक . . . . दिनांक . . . .

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . जो श्री/श्रीमती . . . . .जो प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन पाठ्यक्रम में जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार है.

श्री . . . . (उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता/श्री/श्रीमती . . . . छत्तीसगढ़ सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक . . . . .से दिनांक . . . . तक . . . .(स्थान का नाम) में रही है.

स्थान . . . .

दिनांक

विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पद एवं विभाग का नाम

NRI-SPONSORSHIP CERTIFICATE

I hereby sponsor Ms./Mr. ....Daughter/Son of Mr. ....

for admission to Practitioner in Alternative Medicine Course 2000-2001 session, in the institution......................................

against the seat reserved for non resident Indians.

I am closely related to Ms./Mr. ....(Name of Candidate) and my relationship with

him/her is ....

I am holding an Indian Passport No ....place of issue..

place of residence..

Signature of Sponsors

Address...

Name ....

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मण्डल, रायपुर
प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूल के न्यूनतम मापदंड
(त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

(प्रतिवर्ष 150 विद्यार्थी भरती के लिये)

छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल अधिनियम की धारा 13 एवं धारा 32 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल, प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन स्कूलों के न्यूनतम मापदंड विहित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनता है :—

पाठ्यक्रम का वर्षवार विवरण

1. **प्रथम वर्ष :**—प्रथम वर्ष में पढ़ाये जाने वाले मूल विज्ञान के विषय प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत एनाटामी, फिजियोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री तथा कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई जावेगी.

2. **द्वितीय वर्ष :**— द्वितीय वर्ष में पढ़ाये जाने वाले विषय प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत पैथालॉजी, माइक्रोबॉयोलॉजी के साथ फारमेकोलॉजी ऑफ एसेन्शीयल ड्रग्स, माइनर ऑब्सटेटीक सर्जरी के साथ-साथ समुदाय में पायी जाने वाली प्रमुख बीमारियों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में पढ़ाया जावेगा.

3. **तृतीय वर्ष :**—तीसरे वर्ष में प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत गायनेकोलॉजी, सिम्प्यामेटोलॉजी या प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन तथा आर्थोपेडिकल की प्राथमिक जानकारी के साथ आर्थोमाइनर सर्जरी के साथ-साथ आल्टरनेटिव मेडिसिन के निम्नलिखित विषय पढ़ाये जावेंगे तथा उनमें से तीन विषय सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य होंगे. विषय : (1) बॉयोकेमिक मेडिसिन (2) इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन (3) हर्बोमिनरल मेडिसिन (4) एक्यूप्रेशर (5) फिजियोथेरेपी (6) मेगनेटोथेरेपी (7) योगा (8) बेचफ्लावर रेमेडिज एवं (9) एक्यूपंक्चर.

4. **इन्टर्नशिप :**—तीन वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद छः माह की इंटर्नशिप (सरकारी अस्पतालों में) निम्नानुसार होगी :—

   (1) तीन माह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जिसमें एक माह आब्सटेट्रिक विभाग में होगा.

   (2) दो माह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में.

   (3) एक माह उप-स्वास्थ्य केन्द्र में.

इसके साथ-साथ सभी स्कूल अपने क्षेत्रों में तीन बाह्यरोगी क्लिनिक (ओ.पी.डी.) का संचालन भी करेंगे, जहां आल्टरनेटिव मेडिसिन पर आधारित उपचार के साथ सामान्य प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारी भी दी जा सकेगी.

स्कूल के मापदंड

150 छात्रों की भर्ती के लिए सेन्टर की न्यूनतम आवश्यकताएं निम्नानुसार होंगी :—

1. **कैम्पस :**—एक ही सेंटर में होगा. इसके साथ का शैक्षणिक अस्पताल 3 कि.मी. की परिधि में होगा. स्कूल के भविष्य की वृद्धि के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए.

2. **प्रशासनिक ब्लॉक :—** प्रशासनिक ब्लॉक में निम्नानुसार स्थान होना चाहिए :—

1. प्राचार्य का कार्यालय	:	20 वर्ग मी.
2. स्कूल कौंसिल का कमरा	:	30 वर्ग मी.
3. कार्यालय	:	50 वर्ग मी.
4. मेडिकल अधीक्षक का कमरा	:	20 वर्ग मी.
5. स्टाफ, कॉमनरूम टायलेट के साथ	:	20 वर्ग मी.
6. छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग कॉमन रूम व टायलेट.	:	20 वर्ग मी. प्रत्येक
7. केफेटेरिया	:	30 वर्ग मी.

3. **स्कूल काउंसिल :—** प्रत्येक सेन्टर पर एक स्कूल काउंसिल होगी, जिसमें प्राचार्य अध्यक्ष होंगे तथा अधीक्षक सहित 5 वरिष्ठ चिकित्सक उसके सदस्य होंगे. स्कूल काउंसिल की बैठक वर्ष में कम से कम 6 बार होगी. स्कूल काउंसिल की बैठक अध्यक्ष आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे. काउंसिल के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

1. संस्था में अनुशासन बनाये रखना.
2. पढ़ाई का पर्यवेक्षण करना.
3. अन्तर्विभागीय क्लीनिकल पैथालाजिकल, आल्टरनेटिव मेडिसिन की अकादमिक और सांख्यिकी बैठकें आयोजित करना.

4. **केन्द्रीय पुस्तकालय :—** 50 वर्ग मी. का एक केन्द्रीय पुस्तकालय होगा, जिसमें कम से कम 20 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी. उसमें रोशनी और हवा की पर्याप्त व्यवस्था होगी और पुस्तकों को रखने की और प्रदर्शित करने का पर्याप्त स्थान होगा. सभी चिकित्सकीय विषयों की कम से कम 50 पुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकें होंगी.

5. **लेक्चर थियेटर :—** गैलरी टाईप के कम से कम 2 लेक्चर थियेटर होंगे, जिनमें कम से कम 150 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी. इन्हें अच्छी अकोस्टिक्स केस और ऑडियोविजुअल सुविधाओं जैसे ओवर हैड प्रोजेक्टर, स्लाईड प्रोजेक्टर के साथ बनाया जायेगा.

6. **प्रायोगिक हॉल :—** 30 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता वाले 2 प्रायोगिक हाल होंगे जो कम से कम प्रत्येक 40 वर्ग मी. के होंगे. इनमें से प्रत्येक मेज पर माइक्रोस्कोप के कार्य के लिये रोशनी का अच्छा इंतजाम होगा. प्रत्येक मेज पर स्टेनलैस स्टील का वाश बेसिन, सतत पानी की व्यवस्था, एक ड्रावर, एक कपबोर्ड एवं एक बिजली का प्वाइंट होगा. प्रत्येक हॉल के साथ 10 वर्ग मी. एक प्रिपरेशन रूम होगा.

7. **प्रदर्शन एवं ट्यूटोरियल रूम :—** 30 विद्यार्थियों की बैठने की क्षमता वाले 30 वर्ग मी. के 2 प्रदर्शन एवं ट्यूटोरियल रूम होंगे, जिनमें से एक पढ़ाने के लिये दृष्ट श्रव्य भाध्यमों से सुसज्जित होगा.

8. **म्युजियम :—** 100 वर्ग मीटर के 2 म्युजियम होंगे, जिनमें सूखे और गीले स्पेसिमैन मॉडल, चार्ट और स्कायग्राम आदि रखने के लिये रैक की व्यवस्था होगी. एक म्युजियम मूल विज्ञान के विषयों और दूसरा क्लीनिकल विषयों के लिये होगा.

9. **परीक्षा हॉल :—** 100 वर्ग मी. का 75 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता वाला एक परीक्षा हॉल होगा.

टीप :— लेक्चर थियेटर, प्रायोगिक हॉल, प्रदर्शन एवं ट्यूटोरियल हॉल, म्युजियम तथा परीक्षा हॉल का उपयोग सभी विभाग करेंगे.

10. **भंडार कक्ष :**—सभी के उपयोग के लिये 20 वर्ग मी. का एक भंडार कक्ष होगा, जिसके साथ 10 वर्ग मी. का एक कक्ष भंडार तथा क्रय लिपिक के लिये होगा.

11. **खेल मैदान तथा जिमनेजियम :**— विद्यार्थियों तथा स्टाफ के लिये एक खेल मैदान तथा जिमनेजियम होगा तथा उसके संधारण और खेल गतिविधियों के लिए एक अर्हता प्राप्त फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होगा.

12. **विद्युत व्यवस्था :**— सतत विद्युत की व्यवस्था होगी. इसके अतिरिक्त यू.पी.एस. अथवा जेनरेटर के रूप में अतिरिक्त व्यवस्था भी होगी.

13. **स्वच्छता तथा पेयजल :**—स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी. पुरुषों और महिलाओं के लिये अलग शौचालय पर्याप्त संख्या में होंगे. विद्यार्थियों तथा स्टाफ के लिये सतत शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी.

14. **छात्रावास :**— 50 सीट की क्षमता वाला छात्रावास होगा. छात्रों के लिए 35 सीट छात्राओं के लिए 15 सीट, छात्रावास कैम्पस के भीतर सर्वसुविधायुक्त होंगे. दोनों छात्रावास के मध्य वार्डन का आवास गृह होगा. छात्रावास सेंटर के क्षेत्र में होगा.

15. **ऑपरेशन कक्ष (माइनर) :**— कम से कम एक माइनर ऑपरेशन कक्ष होगा, जो कि बाह्यरोगी कक्ष से लगा होगा, जहां सामान्य जानकारी यथा टांके लगाना, निकालना, जख्म की ड्रेसिंग करना, मवाद निकालने की जानकारी, अस्थि भंग आदि के प्रकरण आने पर उन्हें प्राथमिक उपचार देना, स्लेब लगाना जैसी जानकारी देकर कार्य संपादित किया जा सकेगा.

16. **स्टरलाइजेशन कक्ष :**— इसी के साथ लगकर एक स्टरलाइजेशन कक्ष होगा, जहां आटोक्लेव करने संबंधी आवश्यक व्यवस्थायें यथा ड्रेसिंग ड्रम, कॉटन, गाज, बेन्डेज, धागा तथा सामान्य आवश्यक उपकरणों को उपयोग में लाने हेतु स्टरलाइज किया जा सकेगा.

17. **लॉण्ड्री :**— अस्पताल के कपड़े एवं लिनेन की धुलाई, प्रेस करने एवं गंदे और साफ कपड़ों का भंडारण करने की व्यवस्था रहेगी.

18. **बाह्यरोगी कक्ष :**—प्रत्येक स्कूल द्वारा 3 बाह्य रोगी कक्ष संचालित किये जावेंगे, जिसमें निम्नलिखित के लिए स्थान रखा जावेगा :—

(1) मरीजों एवं उनके साथियों के लिए स्वागत एवं प्रतीक्षा कक्ष.

(2) पूछताछ एवं अभिलेख कक्ष.

(3) प्रत्येक क्लीनिकल विभाग के लिए कक्ष होंगे और उनमें से एक परीक्षण एवं केस प्रदर्शन कक्ष भी होगा.

(1) **मेडिसिन :**—यौन जनित रोग, त्वचारोग, क्षयरोग, श्वास रोग, कुष्ठ रोग, सर्दी, खांसी, बुखार, सिम्पटोमेटिकोलॉजी पर आधारित जांच एवं उपचार.

(2) **माइनर ओ. टी. :**— पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग उपचार कक्ष.

(3) **शिशु रोग कक्ष :**— बाल कल्याण क्लिनिक, टीकाकरण क्लिनिक.

(4) **स्त्री रोग :**— एंटीनेटल एवं परिवार कल्याण.

स्कूल के लिए स्टाफ की आवश्यकता

स्कूल के लिए स्टाफ की आवश्यकता निम्नानुसार होगी :—

1. **प्राचार्य :—** स्कूल में कार्यरत वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों में से एक प्राचार्य होंगे.

प्रथम वर्ष	:	प्राचार्य-1 (एमडी/एमएस)
		व्याख्याता -3 (एमबीबीएस)
द्वितीय वर्ष	:	प्रवाचक (रीडर)-3 (एमबीबीएस) 3 वर्ष का प्रेक्टिकल अनुभव अथवा शैक्षणिक अनुभव.
तृतीय वर्ष	:	व्याख्याता-3

इसके अलावा दो योग्य चिकित्सक प्रेक्टिशनर इन आल्टरनेटिव मेडिसिन के रहेंगे.

प्राचार्य का कार्यालय :—

1. प्रशासनिक अधिकारी	1
2. लेखापाल	1
3. केशियर	1
4. स्टेनो टाईपिस्ट	2
5. यू. डी. सी.	2
6. एल. डी. सी.	2
7. चपरासी	3

पुस्तकालय :—

1. लाईब्रेरियन	1
2. पुस्तकालय सहायक	1
3. चपरासी	1

कार्यशाला :—

सहायक यंत्री, विद्युतकार, बढ़ई प्लम्बर, वेल्डर/ लोहार, दर्जी, मैकेनिक, सहायक.	आवश्यकतानुसार रखा जा सकेगा.

प्रयोगशाला तकनीशियन 8 (4 केन्द्रीय एवं 4 क्षेत्रीय प्रयोगशाला)

केन्द्रीय भण्डार

भण्डार रक्षक	1
क्रय लिपिक	1
कम्प्यूटर ऑपरेशन	1
वॉर्ड ब्वाय	3 + 2 आया
सफाई कर्मी	4 (आवश्यकतानुसार)

उपकरण एवं प्रशिक्षण सामग्री की सूची :—

एनाटामी

1. टेबल स्टेनलेस स्टील टॉप	1
2. ड्रील मशीन	2
3. आरी	3
4. बेंड सा काटने हेतु (सेक्शन हेतु)	1
5. लकड़ी के स्टूल	60
6. ब्रेन नाईफ	3
7. स्टोरेज टेन्क	1
8. संग्रहण हेतु प्लास्टिक टेंक	1
9. ट्राली टेबल (स्टील लाईट)	2
10. प्रोजेक्टर	1
11. एक्स-रे देखने हेतु टाबी	2
12. चार्ट एवं मॉडल	आवश्यकतानुसार
13. डिसेक्शन हेतु औजार	
14. मीट कटिंग मशीन	1
15. माइक्रोस्कोप	10

16. डिसेक्शन माइक्रोस्कोप	5
17. माइक्रोटोम्स स्लेज लार्ज	1
18. रेफ्रीजरेटर	1
19. डिस्टील वाटर स्टील मिनस्ट्री	2
20. 7 कलर मार्किंग पेंसिल	2
21. स्केलेटन आट्रीक्यूलेटेड	5
22. बोर्न सेट (ड्रीसआर्टियूलेटेड)	3
23. स्पेसीमेन जार तथा स्टील रेक्स	आवश्यकतानुसार
24. एम्बेलबिंग मशीन	2
25. माडल्स	

फिजियोलॉजी एवं बायोकेमेस्ट्री

1. माइक्रोस्कोप आइलड्रम रस का	10
2. वेस्टरजन्स पियेट फार ई. एस. आर.	30
3. हीमेटोक्रीट ट्यूब	30
4. हीमोग्लोबिनोमीटर (साहिल्स)	10
5. हीमोसाइटोमीटर	10
6. स्पिगमो मेनोमीटर	10
7. स्टेथोस्कोप	10
8. क्लीनोकल थर्मामीटर	10
9. जी-हेमर	10
10. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ	1
11. स्टरलाइजर	1
12. स्टॉप वाचेस	4

13. व्होल्टेज स्टेबलाइजर	2
14. सेन्ट्रीफ्यूज	2
15. केलोरीमीटर	1
16. रेफ्रीजरेटर	1
17. इन्क्यूबेटर	1
18. आक्सीजन सिलेंडर	1
19. सिलेंडर ट्राली सहित गैस एनालाइजन आटोमेटिक फार सी. ओ. टू.	1
20. शिक्षा से संबंधित फिल्म, स्लाइड्स, माड्ल्स, बैलेस, माइक्रोस्लाइड्स, कव्हर स्लिप, ग्लासवेयर	
21. वाटर बाथ	1
22. एनालिटिक बैलेस	5
23. यूरोनोमीटर	10
24. हाइड्रोमीटर	10
25. एल्ब्यूनोमीटर	10
26. आटोक्लेव्ह	1
27. हॉट एअर ओव्हन	1
28. रबर केथेटर	10

पैथालॉजी

1. वेट मशीन	1
2. रोटरी माइक्रोटोम्स	1
3. फ्रीजिंग माइक्रोटोम	1
4. हाट एअर (50 डिग्री से.)	1
5. पेराफीन एम्बेडिंग बाथ	1
6. इलेक्ट्रीक वेक्यूम एम्बेडिंग बाथ	1

7. वाटर बाथ 57 डिग्री से.	1
8. सेन्ट्रीफ्यूज मशीन	1
9. केलोरीमीटर फोटोइलेक्ट्रिक	1
10. इन्कूबेटर	1
11. सिरीज डिसपोजेबल	आवश्यकतानुसार
12. स्लाईड्स के लिये स्टेनिंग जार	12
13. यूरिनोमीटर	2
14. अल्ब्यूनोमीटर	1
15. कोनिकल यूरी ग्लास सेट	12
16. वाटर बाथ	1
17. सेन्ट्रीफ्यूज ट्यूब ग्रेजूएटेड	15
18. विभिन्न प्रकार के पिपेट्स	आवश्यकतानुसार
19. 100 स्लाईड हेतु केबिनेट	3
20. स्टेनिंग रेक	5
21. काप्लीन जार	10
22. वाटर बाथ	2
23. डेमास्ट्रेशन आई पीस	2
24. मेग्नीफाईन लेंस	2
25. बी. पी. इन्स्ट्रूमेंट	2
26. माइक्रोमीटर स्टेज	2
27. लेब काउन्टर	2
28. लेब स्टूरीयर	1
29. एक्स-रे व्यूविंग बाक्स	2

30. माइक्रोपोजेशन	1
31. ओव्हर हेड प्रोजेक्टर	1
32. सर्जिकल इन्स्ट्रूमेन्ट	1 सेट
33. पी. एच. मीटर (क्लीनिकल लेब हेतु)	1

माइक्रोबॉयोलॉजी

1. आटोक्लेव्ह	1
2. माइक्रोस्कोप डार्कग्राउण्ड वर्क	1
3. रेफ्रीजेरेटर	1
4. डिस्टिल वाटर प्लांट	1
5. ड्रापिंग बॉटल स्ट्रीन हेतु	20
6. बाइनाकुलर माइक्रोस्कोप	2
7. पी. एच. डिटरमिनेशन आपरेट्स	2

फार्माकोलॉजी (फार्मेसी)

1. स्ट्ररलिंग लॉग एक्स्टेंशन	1
2. आइडियल रेसपरेशन पंप	1
3. ब्राडीस आपरेशन टेबल	1
4. असेम्बली परफ्यूजन मेकेनिकल स्ट्रोम हर	1
5. सेन्ट्रीफ्यूज	1
6. केनूलॉज	20
7. वार्निगसींग ट्रे	2
8. एनालजेसियो मीटर	2
9. स्मोकिंग बनर्स पामर	1
10. ट्रेकीयल केन्यूला मेटल पामर	2

11. प्रोफ इन्वलेज ड्राप रिकार्डर	1
12. एक्स ब्लॉक	आवश्यकतानुसार
13. प्लेन स्टेंड	20
14. हेयर एस्थेसियोमीटर	1
15. थर्मामीटर	10
16. माइक्रोस्कोप आर्डिनरी	2
17. केमिकल बेलेंस आर्डिनरी	1
18 केमिकल बेलेंस सेनस्टीव	1
19. प्लेथिजमों ग्राफ पामर ई	1
20. डिसपेन्सीग बेलेंस	20
21. पेस्टल एवं मोरटार	20
22. डिस्टील वाटर स्टील मेनेस्ट्री	1
23. इलेक्ट्रीक हॉट प्लेट	2
24. डी-आयोनाईजर	10
25. स्पेक्ट्रो फोटो मीटर	1
26. इलेक्ट्रोकन्वल्सीयो मीटर	1
27. ग्लास मार्टर एवं पेसल	10
28. फ्ल्यूसेसेंट माइक्रोस्कोप	1

कम्युनिटी मेडिसिन (पी. एस. एम.)

1. हाइड्रोमीटर स्प्रीट	1
2. हाइड्रोमीटर मिल्क	1
3. हाइड्रोमीटर वेट एंड ड्राई बल्ब	1

4. म्यूजियम जार	आवश्यकतानुसार
5. माडल्स चार्ट डायग्राम	आवश्यकतानुसार
6. बेलेंस ऑफ वेयिंग फूड साल्ट	1
7. बेलेंस एनालिक्टिकल (200 ग्राम)	3
8. वेयिंग मशीन एडन्ट	2
9. हरपेन्ड्रा केलीपर्स	2
10. हाइट मेजेरिंग स्टेंड	1
11. स्टील फार डिस्टील वाटर	1
12. स्टरलाईजर इलेक्ट्रिक	2
13. ओव्हर हेड प्रोजेक्टर	1

आफ्थेल्मोलॉजी

1. स्नेलेन चार्ट	4
2. कलर व्हीजन चार्ट	4
3. नियर व्हीजन चार्ट	4
4. थ्रीसेल टार्च	5

मेडिसिन

1. बी. पी. आपरेट्स	10
2. हीमोसाइटोमीटर	1
3. सेन्ट्रोफ्यूज मशीन	1
4. यूरीनोमीटर	1
5. एक्स-रे व्यूह बाक्स	2
6. ओव्हर हेड प्रोजेक्टर	1

7. स्लाइड प्रोजेक्टर	1
8. प्राक्टोस्कोप	1
9. अम्बूवेग	5
10. ग्लूकोमीटर	2
11. टार्च	3
12. पेसेन्ट एक्जामिनेशन टेबल	5
13. रबर हेमर	5

ऑब्सटेटिक एण्ड गायनेकोलॉजी

1. स्पेकुलम एंड रिट्रेक्टर	5
2. वेट मशीन	3
3. ड्रेसिंग सेट	5
4. हाईट स्केल	3
5. रिससिटेशन ट्रे	2
6. डिलिव्हरी सेट	5
7. डॉल एंड डमी	2
8. फिमेल पेलवीस	2

पेड्रियाट्रिक्स

(अ) रिससिटेशन इक्यूपमेंट्स

अम्बूवेग	
इन्फेन्ट	3
चिल्ड्रन	2
फेस मास्क	आवश्यकतानुसार

	एण्डोट्रेसियाल ट्यूब	आवश्यकतानुसार
	सक्सन आपरेटस	1
(ब)	ऑक्सिजन सिलिन्डर ट्राली सहित	1
(स)	वेट मशीन	
	इन्फेन्ट	1
	चाइल्ड	1
	न्यूनेट्स	1

(द) चार्ट, माड्ल्स, स्लाइड्स एवं अन्य टिचिंग मटेरियल आवश्यकतानुसार.

रायपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2001

क्रमांक 4152/2001/चि.शि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4151/2001/चि.शि. दिनांक 21-9-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक शुक्ला, सचिव.

Raipur, the 21st September 2001

No. 4151/2001/ME.—In exercise of the powers conferred under Section 12 & 32 of the Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 and with the previous sanction of the State Government, the Regulations have been made by the Chhattisgarh Chikitsa Mandal to prescribe the minimum standard for Practitioner in alternative Medicine Schools of the State and for admission in these schools. These Regulations are hereby published for information of people in general.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK SHUKLA, Secretary.

ADMISSION REGULATIONS: PRACTITIONER IN ALTERNATIVE MEDICINES

SESSION 2001-2002

For admission Practitioner in Alternative Medicines Schools

In exercise of the powers conferred by Section 12 and Section 32 of Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001 and with the previous sanction of the State Govt. the Chhattisgarh Chikitsa Mandal makes the following regulations :

1. General :

1. These regulations will be called as the 1st year admission regulation of Practitioners in Alternative Medicines Regulations, after the affiliated Schools to Government of Chhattisgarh.
2. These regulations will be effective on those candidates who are intersted to get admitted in Alternative Medicines

2. Definitions : Under these regulations meaning of the words are not different.

1. Class means the four :
   a. Unreserved
   b. Scheduled Caste (SC)
   c. Scheduled Tribe (ST)
   d. Other Backward Classes (OBC) (leaving creamy layer)
2. Competent Authority means the authority declared by the Government of Chhattisgarh.
3. Principal means the Head of the Institution.
4. Chhattisgarh means the State of Chhattisgarh came in force from 1-11-2000.
5. Director means the Director of Medical Education Chhattisgarh (Raipur).
6. Category means anyone out of three
   1. Sainik (S)
   2. Freedom Fighter (FF)
   3. Nil Class (X)

7. NRI means the Non Resident Indian and NRIS means Non Resident Indian Sponsored Quota Seats.
8. Free Seat. means the seats where the fee is taken as per the Government Institutions.
9. Payment Seats menas where the fee is more than the free seats.

3. **During Counselling :** If the Government of Chhattisgarh permits the Institutions to start any subject; or any Institution is permitted to increase the strength of seats for any subject then it will be added during counselling, but the candidates who had already gone under counselling earlier will not be allowed for admission under these seats.

4. **Reservation of Seats :** For admission in Government Affiliated Institutions seats have been reserved for Scheduled Castes (SC) & Scheduled Tribes (ST) and Backward Classes (except the creamy layer). Details of the reserved seats is mentioned in column-2

a. Candidates seeking admission against 50% free merit seats in the Private Sector Institution must be a citizen of Chhattisgarh State.

But the Candidates seeking admission against the payment seats need not to be a citizen of Chhattisgarh State.

b. 15% of the available seats in the Private Sector Institutions have been reserved for NRI. In absence of the required candidates from above seats, will come under payment seats, and will be filled with the payment seats.

Comments :

A. A Candidate can claim reservation in only one of various reservation categories.

B. Candidate must submit the certificate required/prescribed for under the category of reservation, he/she intends to avail of, in the prescribed form given in this Booklet of Regulations.

C. Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) Categories of Chhattisgarh. A Candidate claiming to belong to a Scheduled Castes (SC) or Scheduled Tribes (ST) claiming of Chhattisgarh must submit the certificate in support of his/her claim in Form-2 (A) or Form 2 (B) in this Booklet of Regulations signed by the appropriate authority. (See the Govt. of M.P. General Administration Department (Reservation Cell) order No. F-7-2/96/AP/ One, Dated 1st August 1996).

D. **Other Backward Classes (OBC) (except the creamy layer)**

A Candidate claiming to belong to the categories of Other Backward Classes (excepting the creamy layer) must submit a certificate from a prescribed authority in the prescribed Form 3 (A) or Form 3 (B) given in this Booklet of Regulations. (See the Govt. of M.P. Non-Reservation Department (Reservation Cell) order No. F-7-2/96/AP/ One, Dated March 12, 1997).

E. **Sainik, Freedom Fighter (FF) Class**—5 and 3 seats are reserved for the candidates from Sainik and Freedom Fighter Category respectively in the 'Free Seats' in each of unreserved scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Categories in the Practitioner in Modern Medicine and Surgery School run by the State Govt. and the Practitioner in Modern Medicine and Surgery Institution run by Private institution under recognition by the Govt. of Chhattisgarh.

The details of such reserved seats is given in Table 2.

F. **Sainik Class**—"Sainik Class are those ex-servicemen who have served as defense personnel, those who are serving as defense personnel and those defense personnel who were killed on duty or who have been permanently disabled during serivce. A candidate claiming to belong to this category will have to submit a certificate to the effect that he/she is son/daughter of ex-servicemen domicile in Chhattisgarh. An ex-servicemen is one who is so temed by the Ministry of Defence Govt. of India. A candidate claiming to be son/daughter of ex-servicemen will have to submit/produce certificate from the District Sainik Welfare Officer of the district concerned formerly designated as secretary, District Soldiers Board, to the effect that his/her father/mother was an ex-servicemen in the prescribed Form 4 Part A this Booklet of Rules and of his/her Father/Mother being a domiciled resident of Chhattisgarh in the prescribed Form 5.

OR

That he/she is son/daughter of a defense personnel residing out side Chhattisgarh, but who is a bonafide resident to Chhattisgarh (the prescribed form of certificate in Part 4 B). The candidate will have to submit the certificate that his father/mother is a bonafide resident of Chhattisgara in the prescribed Form 8)"

OR

That he/she is son/daughter of a defense servicemen residing in Chhattisgarh (Certificate in Form 4 Part B).

Comments/Remarks : In the event of any suspicion or dispute as out the legibility of a candidate's bonafides as out the category of defense personnel servicemen, the decision given by the Director, Soldiers Welfare, Chhattisgarh shall be final.

G. **Freedom Fighter Class (FF) :** In the category of Freedom Fighter, those sons/daughters and grand son/grand daughter of freedom fighters will be eligible for admission who fulfil the condition of being bonafide residents of Chhattisgarh as termed in Rule 2-4-2 for purpose of this Rule According is this Rule a Freedom Fighter is one. A Freedom fighter (to be considered) for purpose of the Rule is one whose name is enrolled in the list maintained in the collectorate of the concerned district of Chhattisgarh.

Comments/Remarks : A candidate applying for admission under the Freedom Fighter Category will have to submit the certificate in Form 6 from the Collector of the concerned district. The certificate from the collector or the officer so authorized by him (the officer he designates/or the officer whom the powers have been delegated) shall be the only/legal certificate the candidate's genuine of his/her being a member of this category.

H. **Nil Class (X):** A candidate who does not fail in any of these three categories, shall be treated/deemed as a candidate of 'Nil Class' (X) in his/her concerned category.

5. **Reservation for Female Candidates :**

a. 30 per cent of the seats in each of the categories and classes will be reserved under the category "compartmentalized Reservation" for female candidates in Practitioner in Alternative Systems of Medicine School run by the Govt. of Chhattisgarh as well as those run by private institution and recognized by the Govt.

b. For Female candidates reservation of seats will be institution wise.

c. In the event of a seat falling vacant in any category/class because of non-availability of a female candidate, a male candidate from the respective category/class will be admitted but the seat reserved for a female can not be transferred to any other category/class. But if in class male candidates are not available then the vacant seat will be filled with a candidate of Nil Class.

6. **Jammu And Kashmir Displaced Person Class :**

a. One apart from the qualified candidates is reserved for the sons/daughters of people from Jammu & Kashmir who have been residing in Chhattisgarh since January 1, 1999 or before this date in Practitioner in Modern Medicine & Surgery Schools run by the Govt. of Chhattisgarh or by a private institution and recognized by the Govt. of Chhattisgarh. A candidate seeking admission under this category will be to submit the certificate from a sub-divisional officer (Finance) in the prescribed Form 12.

b. The sons/daughters of officers and employees working under Chhattisgarh services of who have been deputed to control the extremist activities in Jammu and Kashmir State and the sons/daughters who have passed the qualifying exams from Jammu and Kashmir State are eligible for admission to the reserved seats. These candidates will have to submit the certificate in the prescribed Form 13.

7. Reservation For Physically Handicapped Candidates :

Reservation to 2 seats in addition to admissible seats of the institution will be available to a handicapped candidates who domiciled residents of Chhattisgarh.

Remarks : The candidate claiming reservation of these seats will have to submit the certificate of being handicapped person from the District Medical Board and the certificate regarding completion of the as out having completed the studies prescribed form by the Superintendent of vocational rehabilitation centre for physically Handicapped Govt. of India, Ministry of Rehabilitation Napier Town, Jabalpur regarding completion of the course.

8. NRI/NRI Sponsored quota seats :

a. Against the NRI/NRI sponsored Quota seats : Such candidates will be given admission as have scored 45 per cent marks in physics, chemistry or biology together in the qualifying exam of state welfare the 10+2 Pattern Candidates seats admission will have to send this application with the following certificates directly to the institution.

b. The Mark List of the 12th standard of 10+2 Pattern or other equivalent examination.

c. NRI Sponsor certificate (proforma-14).

OR

The certificate from Indian Political Mission or Chancellery or the High Commission that father/mother of the candidate is an NRI in that country.

9. Terms & Conditions for admission.

1. Qualification :

(a) For admission candidate has to pass any of the following one subjects (Biology, Chemistry & Physics) Board of Secondary Education A (10+2) Examination of 12th class..

(b) Any of the recognized Board or University for when Examination has been conducted Examination or higher Examination.

2. Domicile requirement of C.G. : For free seats in Governments affiliated Alternative Systems of Medicine Schools, recognized and organized by Chhattisgarh state only those candidates (Except conditions from Army Services and refugeesion from J & K state) for following will be selected :

(a) Cetizen of India.

(b) One who has completed five years study from 1996 to 2001 in Chhattisgarh Education Institutes for minimum 3 years.

(Certificate Proforma 7)

OR

One who clarification (I) He should be a domicile residence of Chhattisgarh.

(Certificate Proforma 8)

OR

(a) He should be serving in the state or retired Govt. Services or Dt. Chhattisgarh Cadre of Indian Civil Services.

(Certificate Proforma 9)

(b) Any central Govt. Servant (Including Servant from Armed Forces, Indian P & T & Employees from Railway are included) or Employees from Public Sector, there who are ported them 1st Jan. 2001 or before from the date of admission ported in Chhattisgarh State (Certificate Proforma 10).

OR

Any person who is employee of Central Govt. or of State Govt. being under any schedule residing in Chhattisgarh State permanently.

(Certificate Proforma-11)

Classification : 1

Domicile of Chhattisgarh State :

A candidate will be considered actual citizen of Chhattisgarh who fulfils the following conditions (A) & (B) :

(A) Born in Chhattisgarh State.

OR

(B) Candidate himself ; Father or mother (if father is not alive) or father/mother both are not alive in that condition, candidates legal, should resided in Chhattisgarh State Line can 15 years in continuation.

OR

Candidate himself or father or mother is not alive or father/mother both are not alive in free condition candidates legal Guardian should have any business or immovable Properties had in Chhattisgarh State minimum five years from the date of examination.

AND

Candidate, must have taken at least 3 years education from any recognized institute of Chhattisgarh for which class one education is not admitted.

OR

The candidate must have passed. 8th class or 10+2 category examination, from any recognized Institution of Chhattisgarh.

Comments : Domicile certificate should be produced (certificate proforma 8) by Collector or any authorized officer nominated by the collector along with certificates S. No., date of issue, office seal, along with the name & designation of the officers.

Classification -2 (Guardian) : Guardian of the candidate names one who is Pattern/Supervisor nominted by the Collector after the death of father & mother from the date of application produced. Guardian has for produce a certificate blowing from competent court. If father of this candidate is not alive, but mother is alive, then mother will be the legal Guardian of the candidate, no other will be recognized for the name.

Classification-3 : Adopted son/daughter if any candidate wants to be admitted under, unreserved for reserved Class under adopted son/daughter category then they have to produce the legal certificate for the same & deed of adoption will be minimum five years prior to date of admission of the candidate, deed of adoption will be have valid. Only when it is continued from the rocords of School/Course, High School/Higher Secondary School/B.S.C. Part I or any Examination passed, Certificate Porduce by the candidate, since for five years. Under this regulations for admission, name of the father available in records is valid. Apart from this in cases of SC & ST Category of adopted candidates, it is essential, that the candidate, before adoption will of SC & ST Categories. Such candidates those who belongs to other case, but adopted by SC, ST category personnel will not be benefited under this category.

10. Candidates passed in qualification examination being subject Biology, Chemistry, Physics will be adopted as per merit list prescirbed by the direction UR, ST, SC & OBC prepared separately will given admission after counselling.

11. Candidates having equal marks then in such condition selection of the candidates will be based on marks obtained in this category 1st Biology, 2nd Chemistry & 3rd Physics.

12. Admission Procedure :

1. Admission will be given to the candidate as per merit list prepared by the Director & the Committee which is formed by the competent authority. A information letter will be sent to candidates to appear for counselling by postage of certificates. In case of misplace of letter or delay in service by the P & T dept., the competent authority will not be hold responsible for the same.

2. Candidates who appear for counselling will have to produce the counselling form : Proforma 16 (filling all the relevant information from serial No. 1-14) and at so along with all required original certificates/documents & Two Photographs of Passport size and submit a Bank Draft in form of a fee advance of Rs. 300/- (Rs. Three hundred only) A/c Payee Bank Draft. Payable to President, Chhattisgarh Chikitsa Mandal-Raipur. Candidates of SC & ST Class shall have to pay Rs. 150/- (Rs.One hundred fifty Only) draft advance fee & Bank Draft.

3. During counselling selected candidates as per their merit list will be told for admission in the institute of their choice, as per the seats available. Selected candidates will fulfil the required formalities before admission along with the submission of advance fee of Rs. 10,000 (Rs. Ten thousand only) by A/c Payee Bank Draft. Payable to President, Chhattisgarh Chikitsa Mandal, Raipur and rest of the fee will be deposited by the candidate in the institution within a week at the time of the admission. Candidates from all category will deposit the fee in the institution as per regulations framed by the Chhattisgarh Government for the details see Annex. 2.

4. If a candidate fails to appear before counselling Committee or at the time of counselling, fails to produce required Certificates, Letters, Documents in prescribed proforma, than he/she will loose their right of selecting the institute & later on when the candidate appear for counselling, or the day when the candidate is present, seats/Institution will be decided, according to the seats available in the institution on that day. If the candidate fails to appear for the counselling up to the last date of counselling, then it is considered that the candidate is not interested for admission in any seats/any Institution & this way candidates will loose all his rights of admission.

5. If a candidate fails to appear for counselling due to server illness or admitted in Hospital after any accident, then candidate can authorise his Father/Guardian to appear for counselling with a treatment certificate of Chief Medical Officer/Civil Surgeon. But after admission of candidates, if it is turned that the Documents Produced by him during verification were wrong & that the wrong information has been given, at the time of counselling & admission then the admission of candidate is liable to be cancelled & the department is liable to take any punishable action against the candidate.

6. Candidates are selected for unreserved seats will be counted under unreserved seats & such candidates can select their seats & Institution selected as per merit list, under unreserved seats or reserved seats. Candidate of reserved seats who select their seats/Institution according to/their selected number and candidates selected under unreserved seats as per merit list, they will be admitted as per proportionate seats as per merit list.

Comments : Merit list of unreserved seats means such list which includes the No. of candidates, along with all the seats, equaling to the unreserved seats, in which reservation for different category is available.

7. On unreserved seats/category where provision for reservation is not available, admission on these seats, that reserved seats/category candidates will be calculated for admission as per merit list.

8. If there is no eligible candidates under any category for admission of army soldiers or freedom fighters, then the vacant seats will be filled by the candidates under unreserved (X) category.

9. Admission under any category if the candidates are not available, than such seats will be converted in to different category & will be filled up with the reserved seats for SC & ST candidates. If the candidates are not available from so the this above reserved seats, than such seats will be filled up by OBC group of candidates. If the candidate are not available from all this above three category than such seats will be filled up by the candidates from unreserved seats.

10. Once the candidate taken the admission in institute, after counselling, then he will not be allowed for any change.

11. If a candidate applies for cancellation of his admission to Chhattisgarh Chikitsa Mandal then a deduction of 10% fee, will be done from his deposit money.But after completion of procedure regarding admission if any candidate applies for cancellation, then the deposited fee is not refundable in any circumstances, and the candidate will receive the certificates and other deposited documents from the concerned Institute only.

12. In Private Institution vacant free seats will be fulfiled by the Payment seat candidates on the basis of merit, if they fulfil the domicile requirement of Chhattisgarh.

13. Dates for central counselling will be declared by the competent authority, and after this date if the seats are vacant due to the vacant seats or counselling seats by the admitted students, or the seats vacant by some or other reason, will be fulfiled by the schools from the waiting list provided by the competent authority. Admission under this condition will be done by the schools, as per the date and time for counselling on merit basis, declared by competent authority of Chhattisgarh Chikitsa Mandal and in the presence of any representative from the Competent Authority. School will complete the admission work, till last date declared by the Chhattisgarh Chikitsa Mandal and after that no admission can be given to any School.

Comments : (a) If competent authority is not in a State to made available the waiting list then, the schools can take application from the candidate by advertising in News Papers on fix date and counselling will be done in the presence of the mentioned person by the competent authority as per merit in respective schools itselt.

(b) In this admission procedure those candidates will be given prority who are passing the examination with the required minimum fixed marks.

13. **Cancellation of Admission** : If it is found by any mean that any candidate admitted by giving false/wrong information, then the Principal can cancel the admission immediately without any intimation. In case of any discussions or difficulties in admissions, dicisions taken by Director Medical Education Chhattisgrh will be final.

14. In case of Interpretation in any admission rules or regulations taken by the candidate, the Government of Chhattisgarh will be the final authority to take decision and the decision taken will be final and should be accepted.

15. The Government of Chhattisgarh, keeps all rights reserved for any kind of change in the Public interest and such change will be applicable.

16. During counselling for practitioner in Alternative Systems of Medicines candidate has to produce the following orginal certificates/documents and also have to submit the attested photocopy of each Certificate/Documents to the counselling committee, failing to which they will loose their seat according to the regulations and merit listed seats and chance of selection.

a. Relevant certificates/documents by all category candidates with Mark Sheets of qualifying examination Board/University.
b. Affidavit of court if candidate has any obstruction in study from 8th to 10+2 in which it is clearly mentioned that the candidate is not a member of any unlawful institution and also not participated in any unlawful activities.
c. Character certificate from the Principal of the School, in which the candidate was studying along with the period of he studied in that School.
d. Two attested Passport size photographs.
e. Regulations which are given in this book.

TABLE—1

S. No. (1)	Actual Residential Need (2)	Proforma of Certificate (3)
1.	Which year the candidate wants the admission, then 5 years prior to that (year 1996 to 2001) candidate must have studies in any one institution of Chhattisgarh at least for a continuous period of three years.	Proforma-7
2.	Candidate is resident of Chhattisgarh.	Proforma-8
3.	If a candidate is a Son/Daughter of Chhattisgarh Govt./Retired Govt. servant of Chhattisgarh Govt./Died during the service period or in Indian Administrative service from Chhattisgarh.	Proforma-9
4.	If a candidate is Son/Daughter of Central Govt. Employee posted in Chhattisgarh or the employee of Non-Govt. organisation on 1st January 2001 or before.	Proforma-10
5.	If a candidate is a Son/Daughter of any Central or State Govt. would under any scheme residing permanently in Chhattisgarh.	Proforma-11

Note :—Proforma No. 1 to 16 given on the last page of the Book.

2. Candidates of reserved seats will Produce the following extra certificates :—

1. Scheduled Caste (SC)
2. Scheduled Tribes (ST)
3. Other Backward Class (leaving creamy layer) certificate on proforma 3 (A) or 3 (B) given by the competent authority.

3. Sainik Category :—

1. If a candidate is a Son/Daughter of a retired Sainik residing in Chhattisgarh then certificate in Proforma 4 (A), Proforma 5.
2. If a candidate is a Son/Daughter of Pratiraksha Servant then certificate in Proforma 4 (B), Proforma 8.
3. If a candidate is a Son/Daughter of Pratiraksha Servant posted in Chhattisgarh on or before 1st January 2001.

4.Freedom Fighter Category : Certificate in Proforma 6, obtained from the Collector or Competent authority.

5.Handicapped Category :

1. Certificate from District Medical Board.
2. Certificate from vocational rehabilitation centre for physically handicapped Govt. of India, Ministry of Labour, Napir Town, Jabalpur.

17. Tution Development and Extra Fee for practitioner in Alternative Systems of Medicines, will be as per fixed by the Government.

Fee Details :

In different suspects of practitioners in Alternative Systems of Medicines for the year 2001-2002.

a. Fee for the students of unreserved category.

Tution fee and Devlopment Fee :

a. In Government affiliated Private Schools of practitioners in Alternative Systems of Medicines, against the free and payment seats- the tution fee and develpment fee will be as given.

Free seats in Private Sector of Practitioners in Alternative Systems of Medicines.

Tution Fee	Development Fee
Rs. 25,500 per year (Rs. Twenty five thousand five hundred only)	Rs. 3,000 per year (Rs. Three thousand only)

Payment seats in Private Sector of Practitioners in Alternative Systems of Medicines,

Tution Fee	Development Fee
Rs. 35,000 per year (Rs. Thirty five thousand only)	Rs. 8,000 per year (Rs. Eight thousand only)

Extra Fee :

1. Security Deposit	Rs. 1,000/- (Rs. One thousand 1st year) Refundable
2. Registration Identity Card suspect and etc.	Rs. 250/- (Rs. Two hundred fifty only 1st year)
3. Sports Fee	Rs. 200/- (Rs. Two hundred only per year)
4. Tours and Seminar Fee	Rs. 500/- (Rs. Five hundred only per year)
5. Mono of School Per Pullors	Rs. 150/- (Rs. One hundred & fifty only)
6. Hostel Fee	Rs. 500/- (Rs. Five hundred only per month)
7. Counselling Fee	Rs. 300/- (Rs. Three hundred only per year)
8. Counselling Fee for SC and ST	Rs. 150/- (Rs. One hundred & fifty only)

Examination Fee : As per decided by Chhattisgarh Chikitsa Mandal.

Fee for NRI/NRI sponsored 3000/- U.S. Dollors or equivalent to Indian currency.

TABLE—2

Particulars of reservation of Seats

In Private Sector School for Admission in Practitioner in Alternative Medicine, details of seats given as per category wise NRI, Payment and Free Merit Seats.

NRI Seats	Payment Merit Seats	Free Merit Seats	Total
22	53	75	150

Details of Free Merit Seats :—

Unreserved-		Female	Sainik	FF	X class	Total
		11	02	01	24	38
Reserved-	SC	03	00	01	07	11
	ST	05	01	00	10	16
	OBC	03	00	00	07	10
		22	03	02	48	75

Note :—Reservation for Handicapped candidates every school will have extra 2 seats.

CHHATTISGARH CHIKITSA MANDAL

Minimum Standards of Practitioner in Alternative Medicine Schools (Three Years Course) Admitting 150 Students Annually

In exercise of the powers conferred by Section 12, and Section 32 of Chhattisgarh Chikitsa Mandal Adhiniyam, 2001, and with the previous sanction of the State Government, the Chhattisgarh Chikitsa Mandal makes the following regulations to prescribe the minimum standards of Practitioner in Alternative Systems of Medicine Schools Education, and Practitioner in Alternative Systems of Medicine Schools :—

YEAR-WISE DISTRIBUTION OF COURSE

1. **1st Year** :—In First, Teaching of Basic Science Based under Alternative Medicine, Anotomy, Physiology, Biochemistry and Community Medicine.

2. **2nd Year** :—Subjects Teaching Based under Alternative Medicine, Pathology, Microbiology, Pharmacology of Essential drugs, minor obstetrics Surgery along with Diseases found in Community, and the National Programmes.

3. **3rd Year** :—Subject for this Year Teaching based under (THIRD) Gynaecology, Symptometology, Practice of Medicine, and Primary knowledge of orthopaedic, along with orthominor Surgery, and the Subjects of Alternative Medicine (1) Biochemic Medicine, (2) Electro-Homeopathy medicine, (3) Herbomineral Medicine, (4) Acupressure, (5) Physio Therapy, (6) Magneto Therapy, (7) Yoga, (8) Baten-Flower Remedie, (9) Acupuncture, out of these three similar subjects will be compulsory in each schools.

4. **Internship** :—After Successful completion of 3 year's Course, there shall be a 6 months rotation internship as follows : (In Government Hospitals)

   (a) 3 months in a C.H.C. out of which one month should be spent in Obstetrics Department.
   (b) 2 months in a P.H.C.
   (c) 1 month in a S.H.C.

Apart from this internship every school will open and in their area such three O.P.D. Clinic, Treatment based on Alternative Medicine and the General First Aid teaching to the students.

MINIMUM STANDARDS OF SCHOOLS

Minimum requirements of School of 150 Students admission annually shall be :—

1. **Campus** :—One centre shall be housed in a unitary Campus with an associated teaching hospital within theCampus or within a radius of 3 Km. of the Campus. School shall have room for future expansion.

2. **Administrative Block** :—In administrative block, accommodation shall be provided as below :

(a) Office of the Principal	-	20 Sq. m.
(b) College Council Room	-	30 Sq. m.
(c) Office	-	50 Sq. m.
(d) Medical Superintendents Room	-	20 Sq. m.

(e) Staff Common Room with attached toilets	-	20 Sq. m.
(f) Common Rooms with attached toilets and lockers facility separate for boys and girls.	-	20 Sq. m.
(g) Cafeteria	-	30 Sq. m.

3. **School Council** :—Every centre shall have a School Council comprising of Principal, Superintendent and 5 Senior doctors of the centre. The Principal shall be Chair person of the Council. The Council shall meet at least 6 times in ayear. Emergency meeting may be called by the Chair person as and when required. Council's duties shall be:

(a) To maintain discipline in the institution.

(b) Supervision of Teaching.

(c) To organise interdepartmental Clinical-pathological, academic or statistical meetings.

4. **Central Library** :— There shall be a Central Library of 50 Sq. m. with seating arrangement for at least 20 students having good lighting, ventilation and space for stocking and display of books. There shall be at least 50 text books and reference books covering all medical subjects.

5. **Lecture Theatres** :—There shall be minimum of 2 Lecture theatres of gallery type with seating capacity of 150 students. These shall be built with good acoustics and necessary audio-visual facilities including over-head projector, slide projector and a microphone.

6. **Practical Halls** :—There shall be 2 practical halls of 40 Sq.m. with seating capacity of 30 students. These shall be built with good lighting arrangements over each table for microscope work. Every table shall have stainless wash basin. continuous water supply; one drawer, one cupboard and electric point. There shall be one preparation room of 10 Sq.m. attached to each hall.

7. **Demonstration cum tutorial rooms** :— There shall be 2 demonstration cum tutorial rooms of 30 Sq.m. size with seating arrangements for 30 students. One of these shall have audio-visual facilities to assist in teaching.

8. **Museum** :—There shall be 2 museum of 100 Sq.m. each with racks and shelves for storing and display of wet and dry specimen, models, ski grams, charts etc. One museum shall be for subjects of basic Sciences and another for Clinical subjects.

9. **Examination Hall** :—There shall be an examination hall of 150 Sq.m. with seating capacity of 75 students.

Note :—Lecture theatres, Practical halls, Demonstration cum tutorial rooms, Museum and Examination hall are to be shared by various departments.

10. **Store Room** :— There shall be a common store room of 20 Sq.m. with an attached room of 10 Sq.m. for store an purchase clerk.

11. **Playground/Gymnasium** :— There shall be a playground and gymnasium for the staff and students. A qualified physical education instructor shall look after the sports activities and maintenance.

12. **Electricity** :—There shall be continuous Electricity Supply as well as stand by UPS or generator.

13. **Sanitation and Water Supply** :—Adequate Sanitary facilities (toilets and bathrooms separated for males and females) and safe continuous drinking water supply must be provided for all staff and students.

14. **Hostels** :—There shall be 2 hostels one each for boys and girls. These hostels shall be with minimum capacity of 35 male and 15 female students and shall have all necessary facilities. These shall be within the campus of the institution and shall have a Warden's quarter in between them.

15. **Minor Operation Theatre** :—There shall be one Operation unit attached with OPD where the students can be taught applying and removal of the stitches dressing of woods drainage of abscess and facture cases apply of slabes.

16. **Sterilisation Unit** :—Attached to minor O.T. will have autoclave, dressing drums, cotton, gauge, bandage, thread and required instrumets in minor O.T.

17. **Laundry** :—To wash and press the hospital linens and clothing's to keep the same in the stores.

18. **OPD** :—Every school will run three OPD clinics, which will have following :

(a) Waiting room for the patients and their relatives.

(b) Inquiry and Record room.

(c) Every OPD will have rooms for examination and case demonstration to the students.

1. **Medicines** :—Sexually transmitted diseases, skin diseases, tuberculosis, asthma, leprosy, cough, cold and fever based on symptomythology examination and treatment.

2. **Minor OT** :—Male and female separate treatment rooms.

3. **Paediatrics Rooms** :—Bal Kalyan Clinics and Vaccination clinics.

4. **Obest and Gynaecology** :—ANC check up and Family Welfare teaching.

STAFF FOR SCHOOLS

Staff for School Centre will be as follows :—

1. **Principal** :—Senior most specialist working in the schools.

First Year	:	1 Professor (MD/MS)
		3 Lecturer (MBBS)
Second Year	:	3 Reader (MBBS with 3 year practical or teaching experience).
Third Year	:	3 Lecturer (MBBS)

Apart from this two teacher of Alternative Systems of Medicine.

Office of the Principal :—

1. Administrative Officer	1
2. Accountant	1
3. Cashier	1
4. Steno Typist	2

5. U.D.C.	2
6. L.D.C.	2
7. Peon	3

Library :—

1. Librarian	1
2. Assistant Librarian	1
3. Peon	1

Central Workshop :—

As per requirement :—

1. Assistant Engineer, Electrician, Carpenter, Plumber, Welder cum Blacksmith, Tailor, Mechanic, Attendant.

Laboratory Technician :— (4 Central and 4 Regional)

Central Store :—

1. Store Keeper	1
2. Purchase Clerk	1
3. Computer Operation	1
4. Ward Boy	3 Male + 2 Aya
5. Sweepers	4 (As per requirements.)

List of Equipment's and Teaching Materials—
Anatomy :—

1. Table with Stainless tops	1
2. Drill Machine	2
3. Hand Saw	3
4. Band Saw for sectioning	1
5. Stools preferably wooden	60
6. Brain knife	3
7. Storage tank	1
8. Plastic Tank for Storing	1
9. Trolly table (steel light)	2

10. Projector	1
11. X-ray viewing trolly	2
12. Chart+models	as required
13 Dissection instrument	as required
14. Meat cutting machine	1
15. Microscope	10
16. Dissection microscope	5
17. Microtomes sledge large	1
18. Refrigerator	1
19. Destilled water still menestry type	2
20. 7 colour marking pencils	2
21. Skelctons articulated	5
22. Bones (Disarticulated) set	3
23. Specimen jars as required racks steel.	as required
24. Embalming Machine	2
25. Models	

Physiology :—

1. Microscope oil Emersion	10
2 Westergen's Pipette for ESR	30
3. Haematocreattube	30
4. Haemoglobinometer	10
5. Haemocytometer	10
6. Sphygmomanometer	10
7. Stethoscope	10
8. Clinical thermometer	10
9. G. Hammer	10
10. Electro cardiograph	1

11. Sterliser 1

12. Stopwatch 4

13. Voltag. · ˜ :abiliser 2

14. Centrifuge 2

15. Calorimeter 2

16. Refrigerator 1

17. Incubator 1

18. Oxýgen Cylinder 1

19. Cylinder with Trolly Gas analyser automatic for Co 2

20. Teaching related film, slide, modules, micro slides, cover glass and other materials as per requirement.

21. Water Bath 1

22. Analytic Bailes 5

23. Earonometer 10

24. Hydrometer 10

25. Elbuenometer 10

26. Autoclave 1

27. Hot air oven 1

28. Rubber Catheter 10

Pathology :—

1. Weighing machine 1

2. Rotary microtomes 1

3. Freezing microtome 1

4. Hot air (50°C) for special staining. 1

5. Paraffin embedding bath 1

6. Eletric vacuum embedding bath 1

7. Water bath 57 °C 1

8. Centrifuge machine 1

9. Calorimeter photoelectric	1
10. Incubator	1
11. Syringes disposable	as required
12. Staining jars for slides	12
13. Urinometer	2
14. Albuminometer	1
15. Urine glass set (Conical)	12
16. Water Bath	1
17. Centrifuge tube graduated	15
18. Pipettes of various sizes	as required
19. Cabinet for 100 slide	3
20. Staining rack	5
21. Coupling jar	10
22. Water bath	2
23. Demonstration eye piece	2
24. Magnifying lens	2
25. Instrument	2
26. Micrometer stage	2
27. Lab counter	2
28. Lab sterurer	1
29. X-ray viewing box	2
30. Microprojection	1
31. Overhead projector	1
32. Surgical instrument	1 set
33. PH meter (for Clin. Lab)	1

Microbiology :—

1. Autoclave	1
2. Microscope dark ground work	1
3. Refrigerators	1
4. Distilled Water Plant	1
5. Dropping bottles for strins	20
6. Binocular microscope	2
7. PH determination apparatus	2

Pharmacology :—

1. Starlings long extension	1
2. Idealrespiration pump	1
3. Brodis operation tables	1
4. Assembly perfusion Mechanical stromhur.	1
5. Centrifuge	1
6. Canulas	20
7. Varnishing tray	2
8. Analgesiometer	1
9. Smoking burners palmer	1
10. Tracheal canula metal palmer	2
11. Prof inchleys drop recorder	1
12. X block	as required
13. Plain stand	20
14. Hair Aesthesiometer	1
15. Thermometer	10
16. Microscope ordinary	2
17. Chemical balance ordinary	1

18. Chemical balane sensitive	1
19. Plethysmograph palmer E	1
20. Dispensing balance	20
21. Prestle and Mortar	20
22. Distilled water still menestry	1
23. Electric hot plate	2
24. De-ioniser	10
25. Spectrophotometer	1
26. Electro-convulsiometer	1
27. Glass mortar and pestles	10
28. Fluorescent microscope	1

P.S.M./Community Medicine :—

1. Hydrometer spirit	1
2. Hydrometer milk	1
3. Hydrometer wet & dry bulb	1
4. Museum jars	as required
5. Models, Charts Diagram etc.	as required
6. Balance Analytical (200 gm)	3
7. Balance of weighing food salt	1
8. Weighing machine adult	2
9. Harpendera calipers	2
10. Height measuring stand	1
11. still for distilled water	1
12. Sterliser electric	2
13. Over head projector	1

Ophthalmology :—

1. Snellen chart	4
2. Colour vision chart	4
3. Near vision chart	4
4. Cell torch	5

Medicine :—

1. Apparatus	10
2. Haemocytometer	1
3. Centrifuge Machine	1
4. Euronometer	1
5. X-ray view Box	2
6. Overhead projector	1
7. Slide projector	1
8. Proctoscope	1
9. Ambubag	2
10. Gloucometer	2
11. Torches	3
12. Patient examination table	5
13. Rubber Hammer	5

OBST & Gynaecology :—

1. Speculum and refractors	5
2. Weighing Machine	1
3. Dressing Set	5
4. Height Scale	1
5. Resuscitation Tray	2
6. Delivery set	5
7. Doll and Dummy	2
8. Female pelvis	2

Paediatrics :—

(a) Resuscitation Equipments :—

Ambubag	-infant	3
	-Children	2
Face masks		as required
Endotracheal tubes		as required
Suction apparatus		1

(b) Oxygen Cylinder with Trolly 1

(c) Weighing machine	-infant	1
	-child	1
	-neonates	1

(d) Charts, Models, Slides and other Teaching Materials as per requirements.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.